जाता है और आबादी का बहुलांश इसके दायरे से बाहर ढकेल दिया जाता है। इस तरह अवसर की समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को धक्का पहुँचता है। यदि 'मुफ्त' शिक्षा का अर्थ शिक्षा से सभी प्रतिबंधों को हटाना समझा जाए, तो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार की सामाजिक नीति के अन्य क्षेत्रों की महत्ता बढ़ जाती है।

भूमण्डलीकरण व समाज के हर क्षेत्र में बाजार के संबंधों के फैलाव का शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है। एक तरफ तो हम शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा के लिए अपर्याप्त कोष (धन) व 'वैकल्पिक' स्कूलों को सरकारी बढ़ावा, इस ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा का उत्तरदायित्व अब सरकार से हट कर, समुदायों व परिवारों पर आ रहा है। हमें स्कूलों को वस्तु बनने और बाज़ार संबंधी अवधारणाओं के स्कूलों व स्कूल की गुणवत्ता पर लागू होने के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। बढ़ती प्रतियोगिता के वातावरण के चलते, जिसमें स्कूल खिंचते चले जाते हैं और अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षाओं के कारण बहुत छोटे बच्चों समेत सभी बच्चों पर जबर्दस्त दबाव पड़ता है और उनमें भयंकर तनाव पैदा होता है। इससे उनके वैयक्तिक विकास और सीखने के आनंद में बाधा खड़ी होती है।

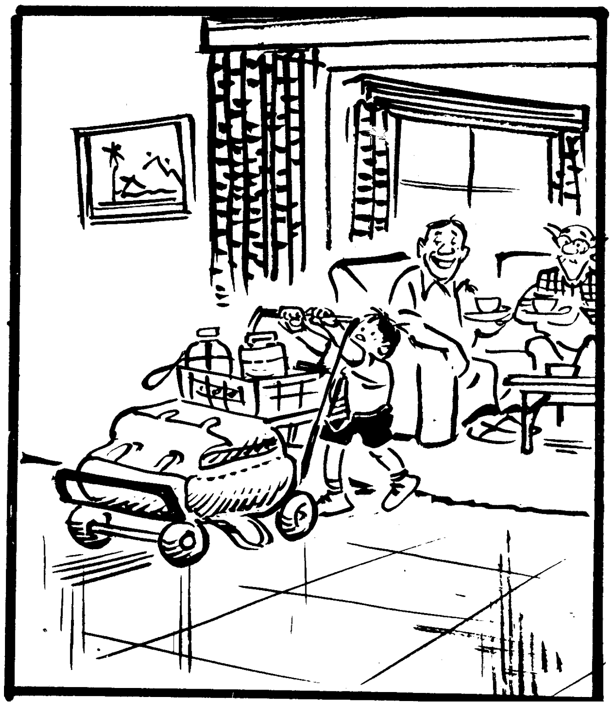
संविधान का 73वाँ व 74वाँ संशोधन स्थानीय समुदायों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैधानिक संस्थागत अवसर मुहैया करवाता है जो एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। बहरहाल, शिक्षा को लेकर माता-पिता की महत्त्वाकांक्षाएँ, स्थानीय गरीबी और असमान सामाजिक संबंधों व पर्याप्त समस्तरीय स्कूली शिक्षा की कमी के कारण ध्वस्त हो जाती हैं। शहरी गरीबों की लगातार बढ़ती जनसंख्या के प्रति चिंता योजनाओं में अभी तक दिखलाई नहीं देती। शिक्षा को लेकर निर्धन वर्ग की अपेक्षाओं व महत्त्वाकांक्षाओं को पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सरोकारों से अलग नहीं रखा जा सकता।

इस प्रकार भारत में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है जिनको पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा परिकल्पना व व्यवहार, दोनों रूपों में संबोधित किया जाना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विमर्श ने इन चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और इनसे निपटने के लिए कुछ तरीके भी सुझाए हैं। इस दस्तावेज़ के विभिन्न खण्डों में कुछ नए विचारों पर विमर्श किया गया है जिनमें प्रमुख हैं — ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना ताकि ज्ञान और अनुभव के नए क्षेत्र उसमें शामिल किए जा सकें; शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया; शिक्षाशास्त्रीय अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने के विषय में सजग हों; आत्मविश्वास और आलोचनात्मक जागरूकता का विकास; तथा पाठ्यचर्या से जुड़े निर्णयों के बारे में समुदाय से बातचीत करने को लेकर खुलापन।

1.7 शिक्षा के लक्ष्य

शिक्षा के लक्ष्यों में व्यापक दिशानिर्देश हैं जो शैक्षणिक प्रक्रियाओं के तय किए गए आदेशों और स्वीकृत सिद्धांतों से संगति बिठाने में मदद करते हैं। शिक्षा के लक्ष्य समाज की मौजूदा महत्त्वाकांक्षाओं व ज़रूरतों के साथ शाश्वत मूल्यों तथा समाज के तात्कालिक सरोकारों सहित वृहद मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। किसी भी खास समय और स्थान के संदर्भ में इन्हें व्यापक और शाश्वत मानवीय आकांक्षाओं और मूल्यों की समकालीन और प्रासंगिक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है।

शैक्षिक लक्ष्य स्कूलों व अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों को एक रचनात्मक साँचे में ढाल कर उन्हें 'शैक्षिक' होने का विशिष्ट चरित्र प्रदान करते हैं। एक शैक्षिक



ओह! मेरा बेटा तो स्कूल के लिए चल चुका है। ....
खुशकिस्मती से मुझे यह हवाई अड्डे पर मिल गया था।
(साभारः आर. के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया)

उद्देश्य शिक्षक की इस रूप से मदद करता है कि वह अपनी अभी की कक्षा की गतिविधि को भविष्य के अभीष्ट परिणाम से जोड़ सके लेकिन ऐसे कि वह गतिविधि मात्र उपयोगितावादी होकर न रह जाए। इस तरह वह उसे अभी की चिंताओं से अलग किए बिना एक दिशा भी प्रदान करता है। इसलिए एक उद्देश्य पूर्वज्ञात लक्ष्य होता है; यह दर्शक-मात्र का निष्क्रिय विचार नहीं, बल्कि यह उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उठाए गए कदमों को प्रभावित करता है। एक उद्देश्य को पूर्व-दृष्टि भी देनी चाहिए। ऐसा तीन तरीकों से किया जा सकता है : पहला, निश्चित परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन करके यह देखना कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं और उस मार्ग में क्या बाधाएँ हैं। इसमें बच्चों का बहुत सूक्ष्म अध्ययन करने और यह देखने की आवश्यकता होगी कि विभिन्न अवस्थाओं में वे क्या-क्या सीख सकते हैं। दूसरा, यह पूर्वदृष्टि उस क्रम की ओर इंगित करती है जो कारगर होगा। तीसरा, यह विकल्पों के चुनाव की संभावनाएँ भी खोलती है। इसलिए, एक लक्ष्य के साथ हम अपेक्षाकृत अधिक समझदारी से काम करते हैं। स्कूल, कक्षा और संबंधित शैक्षिक स्थल दरअसल वे स्थान होते हैं जहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं। ये वे स्थान होने चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव मिलें जो वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पाने में सहायक हों। विद्यार्थियों, शैक्षिक उद्देश्यों, ज्ञान की प्रकृति एवं सामाजिक जगह के रूप में स्कूल की समझ, कक्षा में चल रही गतिविधियों को निर्देशित करने के सिद्धांतों तक पहुँचने में मदद कर सकती है।

जिन मार्गदर्शक सिद्धांतों की पहले चर्चा की गई है वे सामाजिक मूल्यों को परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जिसमें हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को रख सकते हैं। पहला है लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार तथा दूसरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। शिक्षा का उद्देश्य कारण और समझ पर आधारित इन्हीं मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करना होना चाहिए। इसलिए पाठ्यचर्या में स्कूलों के लिए वह गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए ताकि वह संवाद एवं विमर्श के लिए जगह पैदा करते हुए बच्चों में इस तरह की प्रतिबद्धता का निर्माण कर सके ।

विचार तथा क्रिया की आज़ादी, स्वतंत्र तथा सामूहिक रूप से सावधानीपूर्वक विचार किए गए मूल्य-निर्धारित निर्णय लेने की क्षमता की तरफ इशारा करते हैं ।

ज्ञान और दुनिया की समझ के साथ दूसरे लोगों की भावनाओं व कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को मूल्यों के प्रति तार्किक प्रतिबद्धता का आधार होना चाहिए।

सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दुबारा सीखने की तत्परता, नयी

परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पर ज़ोर डालने की आवश्यकता है।

जीवन में चुनाव व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी समाज में विभिन्न प्रकार से योगदान देने की सामर्थ्य पर निर्भर है। यही वजह है कि शिक्षा को काम करने, आर्थिक प्रक्रियाओं व सामाजिक बदलाव में हिस्सा लेने की सामर्थ्य को विकसित करना चाहिए। इसके लिए काम का शिक्षा से जुड़ाव अपरिहार्य है। कौशलों और प्रवृत्तियों के लिहाज से काम से जुड़े अनुभव इस तरह पर्याप्त और व्यापक होने चाहिए कि वे सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं की समझ पैदा कर सकें और ऐसी मानसिक संरचना विकसित करने में मदद करें जो सहकारिता की भावना से दूसरों के साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहन दे। केवल कार्य ही सामाजिक मनोवृत्ति की रचना कर सकता है।

सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझना व उसका आनंद उठाना, मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्यात्मक आस्वादन की क्षमता के विस्तार के लिए साधन और अवसर मुहैया कराना शिक्षा का अनिवार्य कर्तव्य है। आज जबकि बाज़ार की शक्तियों में मतों व अभिरुचियों को प्रभावित करने की गुंजाइश ज्यादा है, सौंदर्य की समझ व रचनात्मकता के लिए शिक्षा की महत्ता और भी बढ़ गई है। विद्यार्थी को सौंदर्य के विभिन्न रूपों को समझने व उनका विवेचन करने में समर्थ बनाने का प्रयास होना चाहिए। बहरहाल, हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम मनोरंजन व सौंदर्य के उन रूढ़िबद्ध रूपों को प्रोत्साहित न करें जो महिलाओं व विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ झेल रहे व्यक्तियों को अपमानित करते हों।